गोविन्द बल्लभ पन्त इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी–गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

प्रशासकीय परिषद की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	–	36वीं
दिनांक	–	09–05–2026
समय	–	5 : 00 बजे (सायं)
स्थान	–	निदेशक सेमिनार कक्ष, जी0बी0पी0आई0ई0टी0, घुड़दौड़ी।

प्रशासकीय परिषद् (BoG) की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान की प्रशासकीय परिषद् (BoG) की 36वीं बैठक दिनांक 09.05.2026 को सायं 05:00 बजे निदेशक कार्यालय के सेमिनार कक्ष, गोविन्द बल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (GBPIET), पौड़ी गढ़वाल में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे—

1.	डॉ. धन सिंह रावत	माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2.	डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा (IAS)	सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार	उपाध्यक्ष
3.	श्री कमल किशोर उप्रेती	कोषाधिकारी प्रतिनिधि — सचिव वित्त	सदस्य
4.	श्री देश राज	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून	सदस्य
5.	प्रो. (डॉ.) कमल किशोर पंत	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की, उत्तराखण्ड	सदस्य
6.	प्रो. (डॉ.) त्रिप्ता ठाकुर	कुलपति, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (VMSBUTU), देहरादून	सदस्य
7.	प्रो. (डॉ.) वसंत मतसागर	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सिविल एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग, आईआईटी दिल्ली	सदस्य
8.	प्रो. (डॉ.) के. के. एस. मेर	विभागाध्यक्ष, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग, जीबीपीआईईटी, पौड़ी गढ़वाल	सदस्य
9.	प्रो. (डॉ.) वी. के. बंगा	निदेशक, जीबीपीआईईटी, पौड़ी गढ़वाल	सदस्य सचिव

36.01 प्रशासकीय परिषद् की 34वीं तथा 35वीं बैठक तथा वित्त समिति की 21वीं एवं प्रशासनिक समिति की 6वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

प्रशासकीय परिषद् की 34वीं तथा 35वीं बैठक एवं वित्त समिति की 21वीं तथा प्रशासनिक समिति की 6वीं बैठक के कार्यवृत्त माननीय परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए गए। परिषद् द्वारा विचारोपरांत उक्त कार्यवृत्तों का पुष्टिकरण किया गया।

36.02 प्रशासकीय परिषद की 34वीं तथा 35वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

प्रशासकीय परिषद् की 34वीं तथा 35वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही/अनुपालन आख्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की गई। परिषद् द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

बिंदु संख्या 34.02 के संबंध में परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित सीलबंद लिफाफा माननीय परिषद् के समक्ष आगामी बैठक में निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत किया जाए।

बिंदु संख्या 34.14 के संबंध में परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि तत्काल संबंधित संकाय सदस्य का संबद्धीकरण समाप्त किया जाए तथा उन्हें पुनः संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही परिषद् द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी कर्मचारी/अधिकारी, जो राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभागों/संस्थानों में संबद्ध अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उन्हें पुनः संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर की गई कार्यवाही/अनुपालन आख्या को परिषद् द्वारा संज्ञान में लिया गया।

36.03 प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष महोदय का स्वागत तथा पूर्व अध्यक्ष महोदय के प्रति कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन।

माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार एवं प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष महोदय का परिषद् द्वारा स्वागत किया गया। परिषद् द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि उनके कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं अनुभव से संस्थान की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को नई दिशा एवं गति प्राप्त होगी तथा संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा।

साथ ही, पूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान के विकास एवं विभिन्न संस्थागत गतिविधियों में प्रदान किए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, सहयोग एवं योगदान हेतु परिषद् द्वारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

36.04 संस्थान में नवीन पाठ्यकम प्रारंभ किये जाने विषयक।

संस्थान में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की विद्या परिषद् (Academic Council) से अनुमोदित एम.टेक. (Structural Engineering), एम.टेक. (Communication Systems) एवं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (BCA) पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2026–27 से संस्थान में प्रारंभ किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, उभरती प्रौद्योगिकियों (Emerging Technologies) के क्षेत्र में प्रस्तावित बी.टेक. (Robotics & Artificial Intelligence) तथा बी.टेक. (Data Science & Cyber Security) पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2027–28 से प्रारंभ किए जाने हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद् द्वारा निदेशक महोदय को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर माननीय परिषद् के समक्ष आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए, जिसमें आवश्यक संकाय पदों, वित्तीय आवश्यकताओं,

अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं तथा अन्य संबंधित संसाधनों का विस्तृत विवरण सम्मिलित हो।

36.05 संस्थान में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को सुदृढ़ किये जाने हेतु देहरादून में किराये पर भवन/कक्ष तथा सेवायोजन हेतु consultant को अनुबंधित किये जाने पर विचार विमर्श।

संस्थान में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन गतिविधियों को सुदृढ़ किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया। इस दौरान माननीय कुलपति, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट गतिविधियों हेतु Consultant को नियुक्त किया जा चुका है, अतः संस्थान उक्त व्यवस्था के माध्यम से भी लाभान्वित हो सकता है।

परिषद् द्वारा देहरादून में किराये पर भवन/कक्ष लिए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि संस्थान का Training & Placement Cell विश्वविद्यालय के Training & Placement Cell के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संस्थान के विद्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण एवं सेवायोजन गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करेगा।

36.06 संस्थान में आवश्यक आवासीय एवं शैक्षणिक भवनों के निर्माण का प्रस्ताव पर माननीय परिषद् के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत।

संस्थान में आवश्यक आवासीय एवं शैक्षणिक अवसंरचना के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। परिषद् के समक्ष संस्थान की वर्तमान एवं भावी शैक्षणिक, आवासीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अतिरिक्त अवसंरचना की आवश्यकता प्रस्तुत की गई।

परिषद् द्वारा संस्थान परिसर में प्रस्तावित आवासीय भवनों, जिनमें Type–4 के 36 आवास तथा Type–3 के 12 आवास सम्मिलित हैं, के निर्माण संबंधी प्रस्ताव का

अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार एवं नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त Lecture Hall, Sewage Treatment Plant (STP) तथा छात्र एवं छात्राओं हेतु 124–124 क्षमता वाले पृथक छात्रावासों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया।

परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित कार्यों के संबंध में आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), वित्तीय प्रावधान एवं अन्य औपचारिक कार्यवाही नियमानुसार संपादित की जाए।

36.07 शिक्षकों के CAS प्रमोशन प्रक्रिया ससमय कराये जाने की सूचना माननीय परिषद् के संज्ञानार्थ।

संस्थान में शिक्षकों की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत प्रोन्नति प्रक्रिया के संबंध में परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि गठित समिति की आख्या प्राप्त होने के उपरांत पात्र एवं चयनित शिक्षकों की CAS प्रोन्नतियां बिना किसी अनावश्यक विलंब के प्रदान की जाएं।

परिषद् द्वारा AICTE दिशा–निर्देशों के अनुरूप CAS प्रोन्नति प्रक्रिया को प्रत्येक वर्ष दो बार आयोजित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि संस्थान स्तर पर प्रोन्नति प्रक्रिया का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी शिक्षक/कर्मचारी की कैरियर प्रगति को केवल शिकायतों/अभ्यावेदनों के आधार पर अनावश्यक रूप से बाधित न किया जाए, जब तक कि संबंधित प्रक्रिया पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगनादेश (Stay) प्रदान न किया गया हो। आवश्यकतानुसार प्रोन्नति हेतु विचाराधीन शिक्षक/कर्मचारी से उपयुक्त घोषणा–पत्र (Undertaking) प्राप्त कर नियमानुसार प्रोन्नति परिणाम घोषित किए जाने एवं अग्रेतर कार्यवाही संपादित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। परिषद् द्वारा प्रोन्नति प्रक्रियाओं के नियमित, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन पर बल दिया गया।

36.08 संस्थान में 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव माननीय परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संस्थान में 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित 5 दिवसीय कार्य प्रणाली के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव पर माननीय उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् के साथ विचार–विमर्श उपरांत आवश्यक कार्यवाही एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

36.09 माननीय उच्च न्यायालय/शासन के निर्देशों पर कतिपय शिक्षकों के प्रकरण पर विचार–विमर्श तथा दिशा निर्देश हेतु प्रस्तुत।

माननीय उच्च न्यायालय/शासन के निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत प्रकरणों पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा निदेशक महोदय को निर्देशित किया गया कि दोनों प्रकरणों से संबंधित समस्त तथ्य, अभिलेख एवं विधिक पक्षों सहित विस्तृत विवरण माननीय उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

तत्पश्चात प्राप्त परामर्श एवं परीक्षण उपरांत उक्त प्रकरणों को आवश्यक विचार एवं निर्णय हेतु आगामी प्रशासकीय परिषद् की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।

36.10 शिक्षकों/कार्मिकों के अवकाश (CCL, EL) सम्बन्धी विषय पर दिशा–निर्देश हेतु प्रस्तुत।

शिक्षकों/कार्मिकों के अवकाश (CCL, EL) संबंधी विषय पर परिषद् द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि CCL, EL एवं अन्य अवकाशों के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं लागू नियमों का आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों सहित कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

परिषद् द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि अर्जित अवकाश (EL) हेतु आवेदन अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जा सके। परिषद्

द्वारा स्पष्ट किया गया कि CCL एवं EL दोनों ही परिस्थितियों में संबंधित कर्मचारी/शिक्षक संस्थान की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे।

परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र/शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षकों को दीर्घावधि अवकाश यथासंभव प्रदान किए जाने से बचा जाए, क्योंकि इससे शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा शैक्षणिक अवधि के दौरान दीर्घावधि अवकाश अपेक्षित हो, तो संबंधित प्रकरण में शैक्षणिक भार (Academic Load) के समुचित समायोजन की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित की जाए।

साथ ही परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि कोई शिक्षक/कर्मचारी शैक्षणिक सत्र के दौरान दीर्घावधि अवकाश लेना चाहता है, तो वह संबंधित सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व ही संस्थान को अग्रिम सूचना उपलब्ध कराए, ताकि वैकल्पिक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जा सकें।

परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अर्जित अवकाश (EL) से संबंधित प्रकरणों का अनुमोदन आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार निदेशक महोदय स्तर पर प्रकरणवार (Case to Case Basis) किया जाएगा।

36.11 शिक्षण कार्य के अतिरिक्त शिक्षकों को डीन के कार्यभार दिए जाने की सूचना माननीय परिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत।

संस्थान में विभिन्न शैक्षणिक, अनुसंधान, छात्र कल्याण, प्रशिक्षण, विकासात्मक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशासनिक दायित्व प्रदान किए जाने संबंधी विषय परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद् द्वारा संस्थान स्तर पर विभिन्न डीन पदों एवं अन्य प्रशासनिक दायित्वों के निर्धारण तथा शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किए जाने की व्यवस्था का संज्ञान लिया गया एवं उसका अनुमोदन किया गया।

साथ ही परिषद् द्वारा यह निर्देशित किया गया कि संस्थान के सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार इस प्रकार के प्रशासनिक कार्यभार एवं संकाय दायित्वोंध्असाइनमेंट्स के निर्धारण हेतु निदेशक महोदय आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

36.12 संस्थान में आउटसोर्स कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी पर विचार विमर्श एवं दिशा निर्देश।

संस्थान में विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु आउटसोर्स कार्मिकों की वर्तमान स्थिति एवं अतिरिक्त आवश्यकता संबंधी विषय पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

परिषद् द्वारा निदेशक महोदय को निर्देशित किया गया कि संस्थान की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप आउटसोर्स कार्मिकों/सेवाओं का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाए, ताकि संस्थान की प्रशासनिक एवं कार्यगत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जा सके।

36.13 संस्थान द्वारा नए वाहन के क्रय हेतु प्रस्ताव माननीय परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत।

संस्थान हेतु अतिरिक्त वाहन क्रय किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिया गया कि संस्थान के शासकीय एवं प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु समय–समय पर वाहन संबंधी व्यावहारिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं।

परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि शासकीय वाहन की सुविधा केवल निदेशक महोदय हेतु अनुमन्य होगी तथा अन्य अधिकारी/कार्मिक शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु संस्थान में उपलब्ध अन्य वाहनों का उपयोग करेंगे।

इसके अतिरिक्त परिषद् द्वारा संस्थान हेतु एक नवीन Innova वाहन क्रय किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद् द्वारा यह भी अनुमोदित किया गया कि उक्त वाहन का क्रय संस्थान की आंतरिक राजस्व (IRG) निधि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

36.14 संस्थान में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रस्ताव माननीय परिषद् के दिशा निर्देशों हेतु प्रस्तुत।

संस्थान में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों की स्थिति एवं संस्थान की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा संस्थान में रिक्त पदों को चरणबद्ध रूप से भरे जाने की आवश्यकता से सहमति व्यक्त की गई।

विशेष रूप से संस्थान में चिकित्सक (Doctor) का पद विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं आवासीय परिसर में निवासरत परिवारों हेतु प्राथमिक चिकित्सीय एवं आपात स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के दृष्टिगत अत्यंत आवश्यक माना गया। परिषद् द्वारा विशेष रूप से चिकित्सक (Doctor) एवं खेल अधिकारी (Sports Officer) के पदों को संस्थान की प्राथमिक आवश्यकता मानते हुए इन पदों सहित अन्य आवश्यक रिक्त पदों के विज्ञापन एवं भर्ती प्रक्रिया को यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ ही नियमित चिकित्सक की नियुक्ति होने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में किसी चिकित्सक को संबद्धता/प्रतिनियुक्ति (Attachment/Deputation) के आधार पर तैनात किए जाने अथवा किसी चिकित्सालय/अस्पताल के साथ अनुबंध किए जाने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया, ताकि संस्थान में प्राथमिक चिकित्सीय सुविधाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

36.15 निदेशक को संस्थान कार्य से अन्यत्र यात्रा/अवस्थापन पर अवस्थापन एवं विशेष दैनिक भत्ता देय किये जाने पर दिशा–निर्देश।

संस्थान कार्य से संबंधित राज्य के अंतर्गत यात्राओं के दौरान अवस्थापन/ठहराव एवं अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधी विषय पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान कार्य हेतु राज्य के अंतर्गत यात्रा के दौरान होटल/अवस्थापन व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹3000/– प्रतिदिन की सीमा तक अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त भोजन एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक देयकों (Actual Bills) के आधार पर नियमानुसार अनुमन्य होगी।

36.16 डॉ० वी० के० बंगा, निदेशक को संस्थान में कार्यरत अवधि के दौरान अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के विषय पर विचार एवं निर्णय।

डॉ० वी० के० बंगा, निदेशक को संस्थान में कार्यरत अवधि के दौरान अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने संबंधी विषय पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त विषय के संबंध में समस्त तथ्यों, नियमों एवं वित्तीय प्रभावों सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर माननीय उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् के समक्ष उचित कार्यवाही एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।

36.17 माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख वापस संस्थान को हस्तगत करने के विषय पर विचार एवं निर्णय।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों के अभिरक्षणध्प्रबंधन संबंधी विषय पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

परिषद् द्वारा इस विषय पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां तथा अन्य आवश्यक सेवा अभिलेख संस्थान को पुनः हस्तगत कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

साथ ही परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त विषय के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव माननीय उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् के समक्ष अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाए।

36.18 संस्थान के वेतन भत्ते/पारिश्रमिक आदि की प्राविधानित धनराशि समय से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संस्थान के वेतन, भत्ते एवं पारिश्रमिक आदि हेतु प्राविधानित बजट धनराशि के अवमुक्तीकरण संबंधी विषय पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा

संज्ञान लिया गया कि वेतन विसंगतियों के परीक्षण एवं निराकरण संबंधी प्रक्रिया वर्तमान में संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रगतिरत है।

परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि बजट धनराशि के शीघ्र अवमुक्तीकरण हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को पुनः पत्र प्रेषित किया जाए। साथ ही संस्थान स्तर पर गठित समिति को वेतन विसंगति संबंधी प्रकरणों के परीक्षणधनिस्तारण की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से तीव्र गति से संपादित करते हुए एक माह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

36.19 संस्थान को उच्चीकृत कर 'गोविन्द बल्लभ पन्त पर्वतीय सम्पदा, प्रबन्धन एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल' के रूप में स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श।

संस्थान को उच्चीकृत कर "गोविन्द बल्लभ पंत पर्वतीय संपदा, प्रबंधन एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल" के रूप में स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं, संस्थान में उपलब्ध अवसंरचना, शैक्षणिक संसाधनों एवं भावी संभावनाओं के संदर्भ में विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा इस संबंध में विस्तृत एवं व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की गई।

अतः उक्त विषय पर निर्णय आगामी प्रशासकीय परिषद् की बैठक तक स्थगित (Deferred) किया गया तथा निर्देशित किया गया कि इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव/कॉन्सेप्ट नोट तैयार कर भविष्य में बोर्ड की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

36.20 शासन द्वारा गठित SIT की जांच आख्या की वर्तमान स्थिति माननीय परिषद् के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

शासन द्वारा गठित SIT की जांच आख्या की वर्तमान स्थिति संबंधी विषय परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद् द्वारा प्रकरण की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लिया गया।

साथ ही यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों सहित माननीय अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, विधि विभाग तथा कार्मिक विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श किया जाएगा।

36.21 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य बिन्दु पर विचार।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित विषयों पर विचार–विमर्श किया गया एवं आवश्यक निर्णय लिए गए—

1. छात्र–छात्राओं की खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ किए जाने हेतु छात्रावास परिसरों में छात्राओं हेतु 02 एवं छात्रों हेतु 04 Open Gym स्थापित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान के संकाय सदस्यों/कर्मचारियों हेतु 02 Open Gym स्थापित किए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. संस्थान के खेल मैदान को Stadium के रूप में विकसित किए जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव, DPR एवं वित्तीय आवश्यकता का विवरण तैयार कर शासन को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. संस्थान के Badminton Court के पूर्ण नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु निर्देशित किया गया।

4. छात्र–छात्राओं की आवश्यकता के अनुसार Sports Items का यथाशीघ्र क्रय किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. छात्रावास Mess संचालन व्यवस्था के संबंध में परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमानुसार यथाशीघ्र Tender प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। परिषद् द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि Mess Menu निर्धारण में छात्र–छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता के मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही परिषद् द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि छात्रावासों को उपयुक्त समूहों (Group of Hostels) में विभाजित करते हुए निविदा प्रक्रिया संचालित किए जाने की संभावनाओं पर कार्यवाही की जाए, ताकि अधिकाधिक सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता सुनिश्चित हो सके तथा छात्र–छात्राओं को बेहतर गुणवत्ता एवं विकल्पयुक्त Mess सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। निविदा प्रक्रिया नियमानुसार एवं निर्धारित शर्तों के अधीन संपादित की जाएगी।

6. छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुस्तकालय के संचालन समय में वर्तमान समयावधि में वृद्धि किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

7. छात्र–छात्राओं की आवश्यकताओं एवं पाठ्यक्रम (Curriculum) की जरूरतों के अनुरूप पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों के क्रय एवं उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

8. संस्थान परिसर, छात्रावासों एवं शैक्षणिक भवनों को यथाशीघ्र Wi-Fi सुविधा से आच्छादित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

9 डॉ० वाई० सिंह द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति एवं सूचना के मेडिकल लीव पर चले जाने के प्रकरण पर परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया

गया। परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् द्वारा वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें एक मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों, चिकित्सीय दस्तावेजो, लागू शासकीय प्रावधानों, चिकित्सा अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित तथ्यों/पहलुओं का परीक्षण करते हुए अपनी संस्तुतियों सहित आख्या प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक निर्णय/कार्यवाही की जाएगी।

प्रो. (डॉ.) वी. के. बंगा
सदस्य सचिव

डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा (IAS)
उपाध्यक्ष

डॉ. धन सिंह रावत
अध्यक्ष

माननीय अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद, जीबीपीआईईटी सोसाइटी द्वारा पत्रावली में हस्ताक्षरित एवं अनुमोदित कर दिया गया है।